



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
**Directorate of Food Civil Supplies and
Consumer Affairs.**
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों, निदेशालय

(TO BE SUBSTITUTE SAME NO SOMP-2018/1428 DATED 23-1-2018)
(CORRRIGENDUM)

सेवा में

1. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
2. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/
दिनांक चण्डीगढ़ 23.01.2018

विषय:- रबी तथा खरीफ 2018-19 की फसलों के लिए परिवहन कार्यो हेतु टैण्डर आमंत्रित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र क्रमांक एस0ओ0एम0पी-1-2018/1428 दिनांक 23.01.2018 के सन्दर्भ में।

2. सन्दर्भाधीन पत्र वर्ष 2018-19 के लिए जारी किए गए परिवहन टैण्डर के terms and conditions के Clauses 4 (x) में निम्न प्रावधान किया गया था:-

“Proof of physical availability of trucks, as mentioned below, alongwith registration of trucks in the name of tenderer, firm and partners of the firm submitting the tender.

जिसे उक्त की बजाए निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:-

“Proof of physical availability of trucks, as mentioned below, alongwith registration of trucks in the name of tenderer, firm and partners of the firm submitting the tender. These trucks should be registered in the name of tenderer, Firm or partners of the partnership firm or he/she should have agreement with any transport company/truck owners having trucks in their own name will be accepted with proof of ownership.” नियम एवं शर्तो में किया गया यह प्रावधान Prospective Date से ही प्रभावी समझा जाए। इसके अतिरिक्त जारी की गई अन्य नियम एवं शर्ते यथावत प्रभावी रहेंगी। जिला नियंत्रको को निर्देश दिए जाते है कि नियम एवं शर्तो में किए गए उक्त परिवर्तन को सभी सम्बंधित की सूचनार्थ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं।

-हस्ता0-

संयुक्त निदेशक (खरीद),
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
**Directorate of Food Civil Supplies and
Consumer Affairs.**
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

पृ० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/1429

दिनांक चण्डीगढ़ 23.01.2018

उपरोक्त की एक प्रति प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी, हैफेड, हरियाणा एगो ईण्ड. तथा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

-हस्ता०-

संयुक्त निदेशक (खरीद),
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/1430

दिनांक चण्डीगढ़ 23.01.2018

उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

-हस्ता०-

संयुक्त निदेशक (खरीद),
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक:एस०ओ०एम०पी-1-2018/1431

दिनांक चण्डीगढ़ 23.01.2018

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

-हस्ता०-

संयुक्त निदेशक (खरीद),
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

क्रमांक एस०ओ०एम०पी-1-2018/1432

दिनांक चण्डीगढ़ 23.01.2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव(खाद्य) एवं निदेशक (खाद्य) के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. पी.एस/अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खाद्य),
2. पी.एस./निदेशक (खाद्य)।

-हस्ता०-

संयुक्त निदेशक (खरीद),
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।